श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2017 को संपन्न अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 08.06.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी/महाप्रबंधक, पेसू, पटना एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित थे।

2. बैठक में पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण इन विभागों के कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं समन्वय नहीं हो पाया। पिछली बैठक में भी इन विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए थे।

3. <u>जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित)</u> :–

3.1 पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि पटना शहर के गंगा प्रोटेक्शन वॉल में पिछले वर्ष मॉनसून के समय कुछ स्थानों यथा गंगा टावर के सामने, सदाकत आश्रम के निकट, गोसाईं टोला पम्पिंग स्टेशन के सामने तथा कुर्जी मोड़ के निकट sluice gate में लीकेज की समस्या हुई थी एवं गंगा नदी का पानी शहर में प्रवेश कर गया था।

इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा जानकारी दी गयी थी कि गंगा प्रोटेक्शन वॉल के सभी sluice gate की मरम्मति हो गयी है।

इस संबंध में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि अपने स्तर से गंगा प्रोटेक्शन वॉल के सभी sluice gate का निरीक्षण कर आश्वस्त हो लिया जाय कि अब कहीं कोई समस्या नहीं है।

4. <u>बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे</u> :–

4.1 पिछले वर्ष जलजमाव के समय राजवंशीनगर, पटना में भ्रमण के क्रम में तथा पिछली बैठक में बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया था कि राजवंशीनगर से बोरिंग कैनाल रोड तक आउट फॉल नाला के अलग लाईन के लिए estimate तैयार कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय, लेकिन अभी तक estimate तैयार नहीं हो पाया है।

इस संबंध में कड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी और मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि शीघ्र स्थल निरीक्षण करके estimate तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि राजवंशीनगर से बोरिंग कैनाल रोड तक एवं शास्त्रीनगर, बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र में इस मॉनसून के समय जलजमाव होने की स्थिति में पानी की निकासी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

4.2 चौक शिकारपुर गुरू गोविन्द सिंह लिंक पथ पर बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पूर्व में नाला का निर्माण कराया गया था। इस निर्माण कार्य की विभागीय अभियंताओं के दल द्वारा 04 माह पूर्व स्थल जाँच करायी गयी थी। जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि नाला निर्माण के क्रम में कई जगहों पर missing gap छोड़ दिया गया है। missing gap के निर्माण हेतु बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी तक कार्य नहीं कराया गया है।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा उक्त नाला एवं missing gap का map बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कई स्थानों पर खामियाँ प्रतिवेदित हुई। निर्देश दिया गया

कि बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता द्वारा विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री अरविन्द कुमार के साथ पुनः स्थल निरीक्षण करके missing gap में कार्य शीघ्र कराना सुनिश्चित किया जाय।

4.3 पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जीरो प्वाइंट, अशोक नगर में नाला जोड़ने का कार्य दिनांक 10 जून, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आज बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि निर्माण में कुछ समस्याओं के कारण अभी काफी कार्य बाकी है।

निर्देश दिया गया कि उक्त समयसीमा तक हर हालत में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि आज ही बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण करके निर्माण में आ रही समस्या का निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

4.4 कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गोसाई टोला के सम्प हाऊस के पानी का झुकाव गंगा नदी की ओर है एवं वर्तमान में gravity flow से पानी निकल रहा है।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि आज ही स्थल निरीक्षण करके समस्या का निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

5. <u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित)</u> :–

5.1 कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चिरैयांटाँड़ पुल के नीचे दक्षिणी सड़क पर सूर्य मंदिर के पूर्वी भाग में वर्षा होने पर सड़क पर जलजमाव हो जाता है एवं इस स्थान पर रोड नीचा होने के कारण नाले के चैम्बर तक रोड का पानी नहीं पहुँच पाता है।

पथ निर्माण विभाग से अनुरोध है कि उक्त स्थान पर रोड को ऊँचा कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे ताकि रोड का पानी नाले के चैम्बर तक पहुँच सके।

5.2 कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आर०ब्लॉक से हार्डिंग पार्क तक पुल के निर्माण के क्रम में कई स्थानों पर नाला टूट गया है।

अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से अनुरोध है कि उक्त स्थान टूटे हुए नाले की शीघ्र मरम्मति हेतु कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

5.3 बेऊर मोड़ से न्यू बाईपास में 1200 मीटर की दूरी पर बाईपास के किनारे नाला है, जो कि चितकोहरा से आने वाले नाले को कनेक्ट करते हुए महावीर कॉलोनी को जोड़ता है। जानकारी प्राप्त हुई कि NHAI द्वारा सड़क चौड़ीकरण के समय उक्त स्थान पर नाले को ही बंद कर दिया गया है, जिसके कारण चिताकोहरा में इस मॉनसून के समय जलजमाव होने की संभावना है।

मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को हुई बैठक में NHAI के प्रतिनिधि को इस संबंध में निर्देश दिया गया था कि उक्त स्थान पर अवरूद्ध किए गए नाले की मिट्टी को तत्काल हटा लिया जाय तथा मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच निर्माणाधीन नाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

6. <u>पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे</u> :–

6.1 बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पैजामा अमरपुर में रेलवे द्वारा निर्माण के क्रम में नाले को अवरूद्ध कर दिया गया है। उस नाले से 05 वार्ड के नाले का पानी का बहाव होता है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रेलवे के मुख्य अभियंता को नोटिस भेजकर निर्माण कार्य बंद कराया जाय।

6.2 पिछली बैठक में जानकारी प्राप्त हुई थी कि पहाड़ी से पहले जोगीपुर नाला में छोटी पहाड़ी गाँव के सामने नाले में 02 ह्यूम पाईप डालकर मिट्टी भर दिया गया है, जिससे कि नाले का flow कम हो गया है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि बेऊर से मीठापुर के बीच भी नाले के flow को कम किया गया है।

मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि आज ही स्थल निरीक्षण करके स्थायी निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

6.3 शहर के सभी प्रमुख नालों में कई स्थलों पर ह्यूम पाईप डालकर रोड बना दिया जाता है, जिसके कारण नाले के पानी का बहाव अवरूद्ध हो जाता है एवं प्रायः देखा जाता है कि इस तरह के नालों का निरीक्षण बरसात आने के समय किया जाता है।

पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह सभी नालों का स्थल निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे और कहीं इस तरह नाले का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तुरन्त हटवाएंगे।

6.4 दिनांक 07.06.2017 को मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय हुआ था कि यदि किसी भी विभाग अथवा organisation द्वारा storm drainage या sewerage एवं पुल का निर्माण किया जाता है तो निर्माण कराने से पूर्व पटना नगर निगम की अनापत्ति/सहमति लेना अनिवार्य होगा।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

6.5 पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया था कि प्रकाश पर्व के अवसर पर गाँधी मैदान में टेंट सिटी आदि के निर्माण तथा गाँधी मैदान के बाहर निर्माण के क्रम में कई जगहों पर नाला टूट गया है, जिसके कारण बरसात के समय गाँधी मैदान में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि गाँधी मैदान के रखरखाव की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि नूतन राजधानी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के साथ आज ही स्थल निरीक्षण करके प्रतिवेदन नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को समर्पित करेंगे। प्रतिवेदन में यह भी अंकित करेंगे कि भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग आदि द्वारा संरचना निर्माण के क्रम में किन–किन जगहों पर नाला टूटा है। तदोपरांत पटना नगर निगम द्वारा नाला की मरम्मति हेतु संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा एवं जहाँ तत्काल आवश्यक हो, वहाँ पटना नगर निगम द्वारा अपने स्तर से नाला का निर्माण कराया जाय।

6.6 पटना शहरी क्षेत्र में कोई भी आधारभूत संरचना निर्माण कार्य/पुल निर्माण आदि कार्य कराये जाते है तो इसके निर्माण के क्रम में अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त नहीं हो या क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मती तत्काल करायी जा सके, इस हेतु ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना नगर निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम आदि द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जाएं, जो नियमित तौर पर निर्माण कार्यों का समन्वय करेंगे।

मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम इस हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे, जो संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से समन्वय एवं कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

7. <u>ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

7.1 पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि कई जगहों पर नाला एवं मेनहोल के अंदर बिजली का केबिल/पोल लगाया जा रहा है, जिसके कारण नाले की सफाई कार्य में भी कठिनाई हो रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पेसू के महाप्रबंधक के साथ स्थल निरीक्षण करके निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

महाप्रबंधक, पेसू द्वारा आश्वासन दिया गया कि यदि कहीं पर नाला के अंदर केबिल/पोल लगाया गया है तो उसका तुरंत re-alignment कर लिया जाएगा।

8. <u>डूडा–2 पटना से संबंधित मुद्दे</u> :–

8.1 पिछली बैठक में निर्देश दिया गया था कि आशियाना–दीघा रोड के नाला निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करके कार्यान्वयन कराया जाय एवं राजीव नगर नाले के निकट नाला का निर्माण बरसात से पूर्व कराना सुनिश्चित करें ताकि CRPF कैम्प के निकट के पानी की निकासी हो सके।

इस संबंध में दिनांक 07.06.2017 को मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में भी निर्देश दिया गया कि CRPF कैम्प के निकट इस मॉनसून में किसी भी परिस्थिति में जलजमाव नहीं हो। कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9. <u>बुडको से संबंधित मुद्दे</u> :–

9.1 पिछली बैठक में प्रतिवेदित हुआ था कि बुडको द्वारा पटना शहर में अधिष्ठापित किये गये स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव हेतु AMC भी किया हुआ है, लेकिन इन लाईटों का रखरखाव आदि कार्य का मेंटनेंस नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि लाईटों के रखरखाव कार्य नहीं किये जाने के कारण संबंधित कंपनी का बैंक गारंटी जब्त कर लिया गया है।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि उक्त लाईटों को चालू स्थिति में रखरखाव हेतु पटना नगर निगम को हस्तांतरित करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

10. बैठक से संबंधित अन्य मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी, अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

8/6/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3887 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 8/6/17

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

8/6/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3887 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 8/6/17

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/6/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3887 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 8/6/17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल–breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/NHAI, Patna (email-ropatna@nhai.org)/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से अनुरोध है कि बैठक में प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।**

8/6/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3887 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 8/6/17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/6/2017

प्रधान सचिव

अन्य संबंधित मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी :–

1. पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :–

1.1 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित डम्पिंग यार्ड एवं पटना–गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

1.2 वीणा सिनेमा के निकट एवं जमाल रोड में पुल निर्माण हेतु पाईलिंग किये जाने के क्रम में नाला का चैम्बर टूट गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि एक्जीविशन रोड में पुल निर्माण के क्रम में नाले को टूट जाने के कारण राम गुलाम चौक से पहले फ्लाईओवर के निकट रोड के किनारे हमेशा पानी जमा रहता है।

1.3 मीठापुर से नंदलाल छपरा तक NHAI के चड्डा एंड चड्डा कंपनी द्वारा नाला का निर्माण किया जा रहा है तथा पुराने नाले के बहाव को अवरूद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण मीठापुर, पोस्टल पार्क क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। अभी तक NHAI द्वारा मात्र 500 मीटर की लंबाई में ही नाला का निर्माण किया गया है। नाला के निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है। इस नाले के उत्तर में एक service drain का निर्माण भी किया जाना है, जिसके निर्माण की गति भी काफी धीमी है तथा side channel का कार्य अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है।

2. जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :–

2.1 नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 से जो नाला प्रवेश करता है, उस नाले के प्रवेश बिन्दु पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामुदायिक भवन एवं कुछ दुकानें बनायी गयी हैं। इसके निकट ही मात्र 5 फीट चौड़ा जलप्रवाह क्षेत्र का नाला बनाया जा रहा है। स्पष्टतः इस प्रस्तावित संकीर्ण नाला से पटना में जलजमाव की अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न होगी।

2.2 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में तथा अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठकों में बादशाही नाला, जो जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्ति है, के 17 स्थानों पर अतिक्रमण की बात आयी थी। पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

2.3 पहाड़ी से लेकर पुनपुन तक खनवा नाले के अतिक्रमण के संबंध में पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया था कि उसमें अतिक्रमण नहीं है और पानी का बहाव ठीक है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे :–

3.1 दिनांक 01.12.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य में कार्यान्वित 106 जलापूर्ति योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण करके, चालू स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

4. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–

4.1 ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया था कि उनके पास लगभग 2.50 करोड़ रूपये अवशेष उपलब्ध हैं, जिससे लगभग 2000 लाईटें लगायी जा सकती हैं। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा जानकारी दी गयी थी कि वे इन 2000 लाईटों को लगाने हेतु स्थानों की सूची शीघ्र ही उपलब्ध करा देंगे।

ब्रेडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया था कि Street light लगाये जाने के संबंध में MD, EESL, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, नगर आयुक्त, बिहार शरीफ एवं प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित करके निर्णय लिया जाएगा।

4.2 ब्रेडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि लाईटों की मरम्मती हेतु एक हेल्पलाईन नं० जारी करें ताकि कहीं भी लाईट खराब होने पर किसी भी नागरिक द्वारा सूचना देने पर तुरंत लाईटों की मरम्मति हो सके एवं हेल्पलाईन नं० की जानकारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को भी उपलब्ध करा दी जाय।

4.3 ब्रेडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि roof of solar के संबंध में प्रतिवेदन एवं गाईडलाईन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि उसका अध्ययन करके नगर निकायों को roof of solar के अधिष्ठापन के संबंध में दिशानिर्देश भेजा जा सके। विभागीय नोडल पदाधिकारी इस कार्य अनुश्रवण एवं समन्वय करेंगे।

5. <u>प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से संबंधित मुद्दे</u> :–

5.1 बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बादशाही पईन में पहाड़ी से आगे मुख्य नाले पर अतिक्रमण है, जिसके कारण बहाव अवरूद्ध है, फलस्वरूप लिंक नाले से आगे की ओर पानी का बहाव किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव को निर्देश दिया गया कि वे इस संबंध में भूमि अधिग्रहण कार्यालय से भूमि अधिग्रहण के रिकार्ड निकालकर नाले को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

6. <u>डूडा–1, पटना से संबंधित मुद्दे</u> :–

6.1 जनता रोड, पटना में डूडा–1 द्वारा रोड का निर्माण कराया जा रहा है। मॉनसून के समय संवेदक द्वारा रोड का निर्माण कार्य शुरू करके तोड़कर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। निर्माण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया था, जिसमें कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कड़ा निर्देश दिया गया था। बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि अभी तक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।